महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05.01.2016 का कार्यवृत्त

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05.01.2016 को सायं 05:00 बजे माननीय कुलपति जी अध्यक्षता में पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1.	डॉ0 पृथ्वीश नाग, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 आर0 पी0 सिंह, संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय	–	सदस्य
3.	प्रो0 गोपाल नायक, संकायाध्यक्ष–प्रतिनिधि, शिक्षा संकाय	–	सदस्य
4.	प्रो0 सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	–	सदस्य
5.	प्रो0 सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय	–	सदस्य
6.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा, संकायाध्यक्ष, चिकित्सा विज्ञान संकाय	–	सदस्य
7.	डॉ0 पंचदेव सिंह, प्राचार्य देवेन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेल्थरा रोड, बलिया।	–	सदस्य
8.	डॉ0 शिव नारायण गुप्त, प्राचार्य–पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय, पलहीपट्टी, वाराणसी	–	सदस्य
9.	डॉ0 अवधेश सिंह, अध्यक्ष–सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	–	विशेष आमंत्रित
10.	श्री ओम प्रकाश, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य–सचिव
विश्वविद्यालय के अधिकारीगण :–			
1.	श्री एस0एन0 पाण्डेय, उपकुलसचिव, परीक्षा सामान्य		
2.	श्री शमीम अहमद खाँ, उपकुलसचिव, सामान्य प्रशासन		

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिए गए :–

कार्य सूची–01	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 18.11.2015 की कार्यवृत्ति की पुष्टि पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति बैठक दिनांक 18.11.2015 की कार्यवृत्ति बिन्दु संख्या–4(क) में शोध छात्रा सुलगना भौमिक की शोध मौखिकी की तिथि 30.11.2015 के स्थान पर संशोधित कर दिनांक 03.11.2015 अंकित करते हुए पुष्टि की गई।**
कार्य सूची–02	स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर तथा बी0 बी0 ए0, बी0 सी0 ए0, एल–एल0 बी0 प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की दिनांक 07 जनवरी, 2016 से प्रारम्भ होने वाली परीक्षा की समय–सारणी का अनुमोदन।
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2016 से प्रारम्भ होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं की समय–सारणी को अनुमोदित करते हुए दिनांक 16.01.2016 को गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती के अवकाश के दिन छात्रहित में पूर्व निर्धारित समय–सारणी के अनुसार परीक्षा सम्पन्न कराने का निर्णय लिया।**

<table>
<tr><td>कार्य सूची–03</td><td>स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर तथा बी0 बी0 ए0, बी0 सी0 ए0, एल–एल0 बी0 प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षाओं को सम्पन्न कराने हेतु निर्धारित केन्द्रों की कार्योत्तर स्वीकृति।</td></tr>
<tr><td>निर्णय :</td><td>परीक्षा समिति द्वारा सेमेस्टर परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों का अनुमोदन किया गया।</td></tr>
<tr><td>कार्य सूची–04</td><td>स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर तथा बी0 बी0 ए0, बी0 सी0 ए0, एल–एल0 बी0 प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षाओं को नकलविहीन सम्पन्न कराने हेतु उड़ाका दल के गठन पर विचार।</td></tr>
<tr><td>निर्णय :</td><td>परीक्षा समिति द्वारा नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्रों पर पर्यवेक्षक नियुक्त करने तथा उड़ाका दल के गठन हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।</td></tr>
<tr><td>कार्य सूची–05</td><td>स्व0 बलराम सिंह स्मारक महाविद्यालय, दिधारगढ़, बलिया में सामूहिक नकल के संदर्भ में उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ का पत्र संख्या–1404/सत्तर–6– 2015–28/2015, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 पर विचार।</td></tr>
<tr><td>निर्णय :</td><td>परीक्षा समिति द्वारा स्व0 बलराम सिंह स्मारक महाविद्यालय, दिधारगढ़, बलिया में सामूहिक नकल के सम्बद्ध में शासन द्वारा की जांच आख्या को संज्ञान में लेते हुए प्रमुख सचिव–उच्च शिक्षा को समस्त तथ्यों से पुनः अवगत कराने का निर्णय लिया गया।</td></tr>
<tr><td>कार्य सूची–06</td><td>परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 18.11.2015 के निर्णय संख्या–4 (ग) के निर्णयानुसार उक्त तिथि के पश्चात् शोध मौखिकी सम्पन्न होने वाले अधोलिखित शोधार्थियों को दीक्षान्त समारोह–2015 में प्रदान की गई उपाधि की सूचना।
विषय :– समाजकार्य
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>छात्र/छात्रा का नाम</th><th>शोध निर्देशक का नाम</th><th>शोध शीर्षक</th><th>शोध मौखिकी की तिथि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>स्वाती प्रिया भारतीय
SWATI PRIYA BHARTI</td><td>प्रो0 रमेश चन्द्र तिवारी</td><td>दुश्चिन्ता स्नायु विकृति के रोगियों का अध्ययन</td><td>19.11.2015</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>श्वेता सोनकर
SWETA SONKAR</td><td>प्रो0 रामचन्द्र पाठक</td><td>मलिन बस्तियों में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन</td><td>21.11.2015</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>निर्णय :</td><td>परीक्षा समिति उक्त कार्यवाही से अवगत हुई।</td></tr>
<tr><td>कार्य सूची–07</td><td>डॉ0 घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी के प्राचार्य का पत्र एम0एस–सी0 बायोटेक्नालॉजी में अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की भांति 36 प्रतिशत सम्पूर्ण योगांक पर उत्तीर्ण होने की समान प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में विचार।
(अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि डॉ0 घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी के प्राचार्य ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 30 प्रतिशत तथा सकल योग में 36 प्रतिशत उत्तीर्ण होने के लिए अंक प्राप्त करने का प्राविधान है। जबकि एम0एस–सी0 बायोटेक्नालॉजी के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 प्रतिशत तथा सकल योग 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।)</td></tr>
</table>

निर्णय :	**परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त पाठ्यक्रम अध्यादेश में संशोधन पर विचार हेतु अध्ययन समिति को संदर्भित करने का निर्णय लिया।**
कार्य सूची–08	धीरेन्द्र महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी बी0सी0ए0–प्रथम सेमेस्टर, सत्र 2012–13 की 13 छात्राओं (Fail/Pramoted) का अंक पत्र प्रदान करने सम्बन्धी प्राचार्य के पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि धीरेन्द्र महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी बी0सी0ए0–प्रथम सेमेस्टर, सत्र 2012–13 की 12 छात्राओं का पंचम प्रश्न पत्र में बैक आने के पश्चात् वर्ष–2014 की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ सम्मिलित हुई किन्तु पुनः उक्त अनुत्तीर्ण हो गयी। नियमानुसार इन्हें आगामी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के सम्पूर्ण प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए था किन्तु ये छात्राएं वर्ष–2015 में मात्र पंचम प्रश्न पत्र की परीक्षा में सम्मिलित हुई जिसके कारण इनका परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया है।)
निर्णय :	**(क) परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त बैक पेपर में अनुत्तीर्ण हो जाने के पश्चात् छात्राओं द्वारा मात्र पंचम प्रश्न–पत्र में सम्मिलित होने को नियमविरूद्ध मानते हुए प्रथम सेमेस्टर के सम्पूर्ण प्रश्न–पत्रों में आगामी परीक्षा के साथ सम्मिलित होने का एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया।** **(ख) परीक्षा समिति के कुछ सदस्यों द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की भांति स्नातक सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के समस्त अनुत्तीर्ण प्रश्न–पत्रों में बैक पेपर की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर समस्त तथ्यों के साथ विधिवत् प्रस्ताव बनाकर आगामी परीक्षा समिति में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।**
कार्य सूची–09	माननीय उच्च न्यायालय में योजित वाद संख्या–51743/2014 शेषमणि गौतम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.09.2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में बी0 एड0 परीक्षाफल घोषित करने हेतु दो प्रश्न पत्रों में औसत अंक प्रदान करने पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि शिवलोक श्रीनेत्र महाविद्यालय, मिर्जापुर के बी0 एड0 सत्र–2011–12 के कुछ छात्रों का शुल्क न जमा होने के कारण महाविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र रोक दिया गया था। जिसके विरूद्ध उक्त छात्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या 31714/2012 दाखिल किया जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2012 को उक्त छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने का आदेश प्रदान किया गया था किन्तु इस प्रक्रिया के पूर्ण होने में उक्त परीक्षा में दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा छूट गयी जिसे बाद में विश्वविद्यालय के आदेश पर छूटी हुई प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा के0 बी0 पी0 जी0 कालेज मिर्जापुर में दिनांक 08.01.2013 तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा दिनांक 09.03.2013 को विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न करायी गयी। दोनों तिथियों की परीक्षा में श्री अजय कुमार अनु0–4162004 तथा श्री संदीप कुमार रंजन अनु0–4162071 सम्मिलित हुए अभिलेखों से इनकी उपस्थिति प्रमाणित हो रही है किन्तु उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात् परीक्षा गोपनीय में अंक पर्ण प्राप्त न होने के कारण परीक्षाफल घोषित नहीं कराया जा सका है।)

निर्णय :	**परीक्षा समिति पूरे प्रकरण से भलीभांति अवगत होने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में उक्त छात्रों को दो प्रश्न–पत्रों में औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षाफल इस शर्त के साथ घोषित करने का निर्णय लिया कि भविष्य में इसे उदाहरण न बनाया जाए।**
कार्य सूची–10	श्री राहुल सिंह यादव, डॉ0 घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी के बी0 कॉम0 सत्र 2014–15 तृतीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि श्री राहुल सिंह यादव बी0 कॉम0 प्रथम खण्ड वर्ष–2012 तथा द्वितीय खण्ड वर्ष–2013 में उदय प्रताप स्वायत्तशाषी कालेज वाराणसी से उत्तीर्ण करने के पश्चात् बी0 कॉम0–तृतीय खण्ड सत्र 2014–15 में डॉ0 घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी में प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित हुए है। प्रथम एवं द्वितीय खण्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण न करने के कारण तृतीय खण्ड का परीक्षाफल अवरूद्ध है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान कर परीक्षा में सम्मिलित करने की कार्यवाही को अनियमित मानते हुए प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया गया।**
कार्य सूची–11	सुश्री मनीषा सिंह, बी0सी0ए0–चतुर्थ सेमेस्टर, सनबीम कालेज फार वीमेन, वाराणसी के पिता श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह के अपनी पुत्री को पुनः बैक परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि सुश्री मनीषा सिंह के पिता श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि मेरी पुत्री ने बी0सी0ए0–चतुर्थ सेमेस्टर वर्ष–2011 के तृतीय प्रश्न पत्र बैक परीक्षा में सम्मिलित हुए किन्तु अनुत्तीर्ण हो गयी। जबकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम एवं षष्ठम् सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी है। किन्तु चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल उत्तीर्ण न होने कारण अन्तिम सेमेस्टर का परीक्षाफल भी अवरूद्ध है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा पांच वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत (कालातीत) हो जाने के कारण अस्वीकार किया गया।**
कार्य सूची–12	सुश्री प्रियंका तिवारी बी0 एड0–2014 विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय, चन्दौली की छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा वर्ष–2015 में सम्मिलित होने के उपरान्त परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी प्राचार्य– विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय, चन्दौली के पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि सुश्री प्रियंका तिवारी बी0एड0–2014 की प्रायोगिक परीक्षा में अस्वस्थ होने के कारण सम्मिलित नहीं हो सकी। जिसे महाविद्यालय द्वारा वर्ष–2015 की प्रायोगिक परीक्षा के साथ बिना रू0 2,000/– शुल्क जमा कराये तथा विश्वविद्यालय की अनुमति के ही सम्मिलित कर लिया गया। जिसके कारण परीक्षाफल रोक दिया गया है।)

निर्णय :	**परीक्षा समिति ने महाविद्यालय द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के सुश्री प्रियंका तिवारी बी0 एड0–2014 की छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा को सम्पन्न करा लेने को मनमानापन माना। सम्बन्धित छात्रा से छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा को शुल्क रू0 2,000/– तथा दण्डशुल्क के रूप में रू0 3,000/– जमा कराने के पश्चात् परीक्षाफल घोषित कराने का निर्णय लिया।**
कार्य सूची–13	प्राचार्य–प्रियदर्शी महाविद्यालय, चतरा, सोनभद्र के छात्र का नाम, पिता का नाम तथा माता का नाम संशोधित करने सम्बन्धी पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि प्राचार्य–प्रियदर्शी महाविद्यालय, चतरा, सोनभद्र ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि बी0 ए0–प्रथम वर्ष के छात्र दिलीप कुमार नाम के छात्र का आन–लाइन फार्म भरते समय तकनीकी त्रुटि के कारण स्वयं का नाम, पिता का नाम तथा माता का नाम व जन्मतिथि गलत भर दिया गया है। जबकि चित्र, हस्ताक्षर, विषय एवं पता सही है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने विधिवत् परीक्षण कर नाम सम्बन्धी त्रुटि को संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान किया।**
कार्य सूची–14	श्री इन्द्रजीत सिंह बी0सी0ए0–द्वितीय सेमेस्टर, जगतपुर पी0 जी0 कालेज, जगतपुर, वाराणसी के परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 18.11.2015 के निर्णय संख्या–8 में लिये गये निर्णय पर पुनः विचार करने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र. पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि श्री इन्द्रजीत सिंह बी0सी0ए0–द्वितीय सेमेस्टर, जगतपुर पी0 जी0 कालेज, जगतपुर, वाराणसी ने प्रार्थना–पत्र में उल्लेख किया है कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 18.11.2015 के निर्णय संख्या–8 में मेरे प्रकरण को कालातीत घोषित करते हुए अस्वीकार कर दिया गया। जबकि मैं बी0सी0ए0–प्रथम सेमेस्टर वर्ष–2011 में उत्तीर्ण करने के पश्चात् द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा में पांच वर्ष के अन्दर ही सम्मिलित हो गया इसलिए मेरा प्रकरण कालातीत नहीं हो सकता है। सूच्य है कि श्री इन्द्रजीत बी0सी0ए0–द्वितीय सेमेस्टर वर्ष–2011 की परीक्षा में सम्मिलित हुए किन्तु द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्न–पत्र में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होने के कारण अनुत्तीर्ण घोषित कर दिये गये थे। जिसके कारण इन्हें बी0सी0ए0–द्वितीय सेमेस्टर के सम्पूर्ण छः प्रश्न–पत्रों की परीक्षा में पुनः सम्मिलित होना चाहिए था। किन्तु इनके द्वारा मात्र द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्न–पत्र की परीक्षा में ही सम्मिलित होने के कारण परीक्षाफल अवरूद्ध है। इनके द्वारा परीक्षाफल घोषित करने अथवा द्वितीय सेमेस्टर में पुनः परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया गया है।
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री इन्द्रजीत सिंह की मांग को अस्वीकार करते हुए बैक नियमावली के विरूद्ध इनके फार्म का अग्रसारित करने हेतु महाविद्यालय को इस आशय का चेतावनी–पत्र देने का निर्णय लिया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें।**

कार्य सूची–15	श्री अविनाश त्रिपाठी, बी0 ए0–तृतीय खण्ड मां भगवती सोनांचल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रार्बट्सगंज, सोनभद्र के बी0 ए0–तृतीय खण्ड, वर्ष–2014 का परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धि प्रार्थना–पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि श्री अविनाश त्रिपाठी, बी0 ए0–प्रथम खण्ड वर्ष–2010 में पूर्वांचल विश्वविद्यालय से भूतपूर्व छात्र के रूप में उत्तीर्ण करने के पश्चात् वर्ष–2011 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से बी0 ए0–द्वितीय खण्ड की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। इसके पश्चात् एक वर्ष के अन्तराल पर वर्ष–2014 में बी0 ए0–तृतीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित हुए है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पंजीकरण वर्ष से लेकर बी0 ए0–तृतीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने तक की अवधि 5 वर्ष से अधिक होने के कारण परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा पांच वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण अस्वीकार करने का निर्णय लिया।**
अध्यक्ष की अनुमति से –	
निर्णय :16	**बी0ए0/बी0एस–सी0, प्रथम एवं द्वितीय खण्ड, वर्ष–2015 की वार्षिक परीक्षा में गणित द्वितीय प्रश्न लीक (OUT) होने के सम्बन्ध में प्रभारी जिलाधिकारी, जिला–बलिया की सूचना पर गठित की गई जांच समिति का प्रतिवेदन परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जांच प्रतिवेदन की प्रमुख संस्तुतियों के आलोक में प्रश्न–पत्रों के संरक्षण एवं वितरण व्यवस्था में सुधार करने का निर्णय लिया गया।**
निर्णय :17	**आगामी वार्षिक परीक्षा से नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु समस्त परीक्षा कक्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा जिसका लिंक विश्वविद्यालय केन्द्र से होगा, ऐसी व्यवस्था करने हेतु परीक्षा केन्द्रों (महाविद्यालय) को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।**
निर्णय :18	**श्री नरहेजी महाविद्यालय, बलिया के बी0 कॉम0–तृतीय खण्ड के मुकेश कुमार मिश्रा व अन्य के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना–पत्र जो वर्ष–2015 की वार्षिक परीक्षा में सामूहिक नकल का दोषी पाये जाने के सम्बन्ध में है, पर परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03.06.2015 द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही के आलोक में प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया।**
निर्णय :19	**परीक्षा समिति द्वारा सुश्री आकांक्षा जायसवाल एम0 फिल0–राजनीति विज्ञान, सत्र 2013–14 के लघुशोध प्रबन्ध जमा करने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र पर विचार कर रू0 5,000/– दण्डशुल्क के साथ लघुशोध प्रबन्ध जमा करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**
निर्णय : 20	**स्नातक प्रथम एवं द्वितीय खण्ड वर्ष–2015 की बैक परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को स्नातक द्वितीय/तृतीय खण्ड की वर्ष–2016 की परीक्षा का फार्म भरने की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव पर परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त अगली कक्षा के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए शपथ–पत्र के आधार पर स्नातक द्वितीय/तृतीय खण्ड में प्रवेश प्रदान कर तदोपरान्त परीक्षा फार्म भरवाने का निर्णय लिया।**

निर्णय : 21	**परीक्षा समिति द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पंजीकरण एवं परीक्षा फार्म में नाम/पिता का नाम/माता का नाम तथा विषय आदि में (फोटो एवं हस्ताक्षर को छोड़कर) संशोधन करने हेतु एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

ह0
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

ह0
कुलपति

पत्रांक : प0गो0/11986/परीक्षा समिति/2016 तद् दिनांक : 14 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. माननीय कुलपति जी।
2. परीक्षा समिति के सदस्यगण।
3. वित्त अधिकारी।
4. कुलसचिव।
5. उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य/अनुचित साधन प्रकोष्ठ।
6. अधीक्षक–परीक्षा सामान्य/परीक्षा गोपनीय/समिति अनुभाग/सम्बद्धता विभाग।
7. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपरोक्त कार्यवृत्त को सम्बन्धित व्यक्ति एवं जन साधारण के सूचनार्थ अपलोड कर दें।

कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक